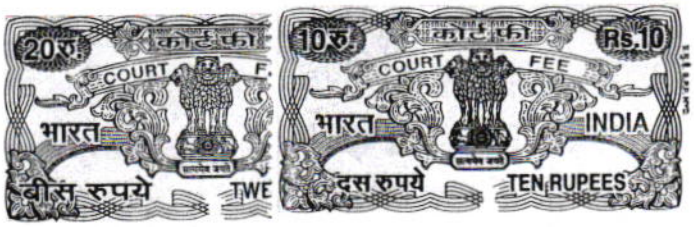

93

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागरम0प्र0

निग - 2959- I-16

दुर्गा पत्नि कन्ना
निवासी ग्राम बम्होरी दुर्जन तह. बीना
जिला सागर ....निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एंव धारा 165 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर सागर एंव नायब तहसीलदार बीना द्वारा प्रकरण क्र 201/बी–121/15–16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बम्होरी दुर्जन स्थित भूमि खसरा क्र 4/5 रकवा 0.80 हे. पट्टे पर प्राप्त भूमि है जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अत्याधिक श्रम व धन व्यय कर उसे काबिल काश्त बनाने की कोशिश की परंतु वह पूर्ण रूप से काबिल काश्त् भूमि नहीं है जिस कारण से

नितेन्द्र सिंघई
एड.
94251-71223

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2957/16 जिला .....सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-9-16	1– आवेदक के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी प्र.क्र. 201/बी–121/वर्ष 15–16 में के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि मौजा बम्होरी दुर्जन स्थित खसरा क्र 4/5 रकवा 0.80 हे भूमि बंटन में प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित अपर कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदक बीमार चल रही है जिस कारण उसको अपने इलाज हेतु पैसों की अवश्यकता है साथ ही भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उसका स्वास्थ अत्यन्त खराब हो गया है जिस कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की अत्यन्त आवश्यकता है। आवेदक का यह भी तर्क है कि उसके पास संयुक्त खाते की अन्य भूमि खसरा क्र 311, 316, 319, 321 में है जो कि सिचिंत भूमि है तथा चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी	

R 2959. I/16 (सागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया आवेदक का भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय किए जाने का आवेदन पत्र काफी लंबसमय से लंबित है जिस कारण से वह अपना सही तरीके से पैसों के आभाव में इलाज नहीं कर पा रही है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को लंबित रखना चाहते है। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया है । 3— आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। आवेदक द्वारा अपनी अस्वाथता के संबंध के शपथपत्र भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पांचशाला खसरा खतौनी की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसी ग्राम में आवेदक के पास संयुक्त खाते की अन्य कृषि योग्य सिचिंत भूमि है तथा आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि अपने अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को भूमि खसरा क्र 4/5 रकवा 0.80 हे को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विकय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विकेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । (हस्ताक्षर) सदस्य	
R/ 4/18		